

राष्ट्रीय लोक अदालत -2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

बईजलास श्री राजेश डागा (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 11/23

जीसीएमएस न :-2023/26

निर्णय दिनांक 11.02.2023

बउनवान

1. अब्दुल हलीम पुत्र करीम खान आयु 57 वर्ष जाति मुसलमान निवासी ग्राम गरडाना तहसील कनवास जिला कोटा हाल निवासी रंग तालाब नई बस्ती गली 603 कोटा जिला कोटा
वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार कनवास जिला कोटा।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री मनोज कुमार शर्मा

प्रतिवादी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आरटीएक्ट

निर्णय

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88,89 के तहत राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 11.02.2023 को प्रस्तुत हुआ प्रकरण में तहसीलदार कनवास से जवाब सरकार लिया गया जवाब सरकार अनुसार वादी ने ग्राम गरडाना की आराजी खसरा न- 576 613 616 714 कुल किता 4 कुल रकबा 1.66 है0 में राजस्व रेकार्ड में दर्ज नाम अब्दुल हलीम पुत्र करीम हिस्सा 1/4 जाति मुसलमान सा देह के स्थान पर हकीम खान पुत्र करीम खान जाति मुसलमान सा देह दर्ज करवाने हेतु दायर किया वादी का नाम आधार कार्ड पेन कार्ड राशनकार्ड में नाम हकीम खान पुत्र करीम खान दर्ज है ग्राम पंचायत देवली द्वारा भी हकीम खान व अब्दुल हलीम दोनों नाम एक ही व्यक्ति के होना प्रमाणित किया गया है अतः वादी द्वारा स्वयं सिद्ध करने, सहखातेदारो की पुष्टि तथा वादी का मौके पर कब्जा काश्त होने पर राजस्व रिकार्ड में नाम अब्दुल हलीम पुत्र करीम खां जाति मुसलमान सा देह के स्थान पर हकीम खान पुत्र करीम खान जाति मुसलमान सा देह किये जाने के किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

अतः वाद पत्र में संलग्न दस्तावेज व प्रस्तुत जवाब सरकार के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89 के अनुसरण में ग्राम गरडाना की आराजी खसरा न0 576, 613, 616, 714 कुल किता 4 कुल रकबा 1.66 है0 में राजस्व रेकार्ड में दर्ज नाम अब्दुल हलीम पुत्र करीम हिस्सा 1/4 जाति मुसलमान सा देह के स्थान पर हकीम खान पुत्र करीम खान जाति मुसलमान सा देह दर्ज के राजस्व रेकार्ड में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्न लिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

क्रसं	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान अशुद्ध प्रविष्टि	शुद्ध प्रविष्टि जो आदेश के पश्चात राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी है।
1	ग्राम गरडाना पटवार हल्का देवली तहसील कनवास	94	अब्दुल हलीम पुत्र करीम खां हिस्सा 1/4 जाति मुसलमान सा देह खातेदार	हकीम खान पुत्र करीम खां हिस्सा 1/4 जाति मुसलमान सा देह खातेदार

निर्णय आज दिनांक 11.02.2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत 2023 में मजमे आम सुनाया गया

राजेश डागा (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा

अन्तिम डिक्री बगुनदमे इस्वादाई
(ऑर्डर 20, कल 6-7, जाबदा तीयानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास मुकाम कनवास

न्यायालय ब इजलास श्री राजेश डागा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज.)

प्रकरण संख्या 11/23

निर्णय दिनांक 11.02.2023

जीसीएमएस नं :-2023/26

बउनवान

1 अब्दुल हलीम पुत्र करीम खान आयु 57 वर्ष जाति मुसलमान निवासी ग्राम गरडाना तहसील कनवास जिला कोटा हाल निवासी रंग तालाब नई बस्ती गली 603 कोटा जिला कोटा वादीगण

बनाम

2. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार कनवास जिला कोटा।

प्रतिवादीगण

उपरिस्थित :-

वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री मनोज कुमार शर्मा
प्रतिवादी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आरटीएक्ट

मुकदमा नं. 11/23 सन 2023 तारीख फैसला 11.02.2023 न्यायालय ब इजलास श्री राजेश डागा उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू उपखण्ड अधिकारी कनवास बहाजरी श्री मनोज कुमार शर्मा वादी मिनजानिब मुदई व प्रतिवादीगण राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास स्वयं मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुकम दिया जाता है वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम गरडाना पटवार हल्का देवली खाता संख्या 94 पुराना 03 की खसरा नं0 576 की 0.43 है0, खसरा नं0 613 की 0.53 है0, खसरा नं0 616 की 0.25 है0, खसरा नं0 714 की 0.45 है0, कुल-किता 04 की रकबा 1.66 है0 आराजी के राजस्व रेकार्ड मे वादी का नाम अब्दुल हलीम के स्थान पर हकीम खान दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... X ...मुबलिग ...X ...बाबत ...X ...खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ...X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11.02.2023 माह फरवरी 2023 को जारी की गई।
मोहर

राजेश डागा (आर0ए0एस0)

उपखण्ड अधिकारी
कनवास

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	----		स्टाम्प वकालतनामा	----	
स्टाम्प वकालतनामा	----		स्टाम्प अर्जी	----	
स्टाम्प वजह सबूत	----		महनताना वकील	----	
महनताना वकील	----		खर्चा गवाहान	----	
खर्चा गवाहान	----		फीस कमिश्नर	----	
फीस कमिश्नर	----		बाबत इजराय हुकमनामा	----	
बाबत इजराय हुकमनामा	----		मुतफरिंक	----	
मुतफरिंक	----		मीजान	----	
मीजान	----				

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज व चाहिये।

राजेश डागा (आर0ए0एस0)

उपखण्ड अधिकारी
कनवास